न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

मिसल संख्या/नयाबत /31/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री सुमेर, भंवरसिंह, लीलासिंह, रूधाराम पिता जगमाल जाति राजपूत निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

निर्णय दिनांक:- 18 दिसम्बर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का लोयल के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम लोयल स्थित राजकीय भूमि ख0न0 466 के रकबा 0.22 है0 में से रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में छड़ी बाड़ लगाकर श्री सुमेर, भंवरसिंह, लीलासिंह, रूधाराम पिता जगमाल निवासी लोयल के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैरसायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नही हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रूपया का 50 गुणा= 50 / रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दप्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021
पृष्ठ नं. 29 पर संख्या 50/1
कायम की गई।

तहसील ... खेतड़ी
24/12/20